



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 104 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 29 / 12 / 2015

॥ आदेश ॥

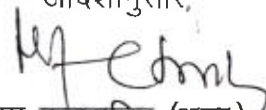
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 के निर्णयानुसार स्व. राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुंद को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	M.Com. Prev.	25	2015-16

शर्तें :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- एम.कॉम. अंतिम वर्ष की सम्बद्धता हेतु 30 जून 2016 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 105 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक 29 / 12 / 2015

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
 - संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
 - संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
 - संचालक, शारीरिक शिक्षा,
 - स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
 - कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


कक्षा अधिकारी (अका.)

आग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संशोधन के लिए निरीक्षण समिति का विद्ववार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पाठ्य/अपाठ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियाँ का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।

कक्षा में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए। निरीक्षण समिति के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति का विद्ववार प्रतिवेदन।

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता :

विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता :

(Dr-A.K.R.N.)

दिनांक 01.12.2015

प्रति,

कुलसचिव

पं. विश्वेश्वर शिव विद्यापीठ
रायपुर (छ.ग.)